राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2021/471-VC

अंतिम रिपोर्ट

***

श्रीमती सरोज सिंह पत्नी श्री महराम सिंह निवासी मकान न. 2140, सेक्टर 16A, वसुंधरा, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201012 के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में संपन्न हुई विभिन्न सुनवाइयो के सम्बन्ध में |

शिकायत का संक्षिप्त विवरण:-

उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ती द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पति श्री महराम सिंह पुत्र श्री चरण सिंह यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर कार्यरत है तथा पिछड़े वर्ग की गुर्जर जाति से है | शिकायतकर्ती द्वारा अवगत कराया गया कि श्री महराम सिंह द्वारा शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 में श्री राज्यपाल द्वारा स्वीकृत यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वेतनमान रूपये 18,500-450-23,900 के पद के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 17.07.2013 के माध्यम से आवेदन किया |

आवेदन से पूर्व श्री महराम सिंह लोक सेवक आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा श्रेणी-2 के अंतर्गत वेतनमान रु0- 8000-275-13500 में नियुक्ति प्राप्त थे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रथम श्रेणी) के पद पर अथार्त वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड-पे 6600 पर कार्यरत थे | श्री महराम सिंह को वर्ष 1990 में आई0आई0टी0 रूडकी (Formerly University of Roorkee) से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त तथा अभियांत्रिकी (Electrical & Mechanical) में लगभग 23 वर्षो से भी अधिक समय का कार्य अनुभव प्राप्त था |

उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 699/77-4-14-100एल/13 दिनांक 29.05.2014 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के शासन के शासनादेश सं0- 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 औद्योगिक विकास अनुभाग -04 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी का एक पद वेतनमान 18500-450-23900 पर स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त है का उल्लेख करते हुए, श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियमो व आदेशो के अनुसार ही वेतनमान व भत्ते अनुमान्य होंगे शासनादेश निर्गत करते हुए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया | श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति के दौरान निर्धारित वेतनमान रु0-18500-450-23900 नहीं दिया गया, जिसके लिए उनके द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतनमान दिए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिलकर व्यक्तिगत रूप से अनेको बार अनुरोध किया गया | परन्तु इस सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा

किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी | इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति श्री महराम सिंह का उत्पीडन किया जाता रहा है |

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश के आदेश / पत्र संख्या-1131/77-3-15-66एम/08 दिनांक 01.02.2016 द्वारा श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर वेतनमान 18500-450-23900 में आमेलित किया गया | उक्त के अनुपालन में श्री महराम सिंह ने दिनांक 03.02.2016 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया था | प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या-वाई.ई.ए./कार्मिक/770/2016 दिनांक 17.03.2016 द्वारा श्री महराम सिंह को वेतनमान रू0 37000-67000 ग्रेड पे रु0 10,000/- के अंतर्गत वेतन भुगतान किया जा रहा था | परन्तु प्राधिकरण द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का शोषण करने व उत्पीडन करने के उद्देश्य से पत्रांक वाई.ई.ए. /कार्मिक/1314/2017 दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख लिखते हुए विधि विरुद्ध जाकर महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि "महाप्रबंधक (वित्त) को इस आशय से प्रेषित है कि वह शासन स्तर से आमेलन के उपरान्त वेतन निर्धारण होने तक प्रतिनियुक्ति पर अंतिम देय वेतन अनुसार वेतन आहरित करते रहे |" उल्लेखनीय है कि श्री महराम सिंह को निर्धारित वेतनमान 18500-450-23900 में आमेलित किया गया था | परन्तु प्राधिकरण द्वारा पूर्व से लागु शासनादेश का उल्लंघन कर वेतन कटौती करते हुए, निरंतर उत्पीडन किया जा रहा है |

श्री महराम सिंह को वेतनमान रू0-37400-67000 ग्रेड पे रू0-10,000/- दिया जाना उचित है, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 17.03.2016 को निर्धारित भी किया गया था एवं श्री सिंह को प्राप्त भी हो रहा था। प्राधिकरण बोर्ड की 58वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2017 में आमेलन की कार्योत्तर स्वीकृति बोर्ड से भी प्राप्त की गयी है, जिस पर 59वीं बोर्ड बैठक में श्री महराम सिंह के प्रकरण पर प्राधिकरण की बोर्ड द्वारा भी "कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है" का निर्णय लिया जा चुका था। बोर्ड के निर्णय के उपरान्त भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा श्री सिंह का वेतन रोक/कम कर दिया गया, जो कि बोर्ड के निर्णय के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है।

आडिट टीम द्वारा रफशीट पर अस्थाई आपत्ति संख्या-83 जो कि महाप्रबन्धक (कार्मिक) से संबंधित थी वह सामान्य जाति से है। आडिट आपत्ति संख्या-83 पूर्णतः शासन से संबंधित थी, जिसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित ही नहीं की गयी। दूसरे मा0 आयोग को अपने शपथ-पत्र दिनांक 14.02.2022 में अवगत कराया गया कि आडिट आपत्ति संख्या-83 संज्ञानित नहीं है।

इसके अतिरिक्त आडिट आपत्ति संख्या-34 जो श्री महराम सिंह से संबंधित थी, जो कि पिछड़ा वर्ग से है कि आडिट आपत्ति को शासन को तो सन्दर्भित कर ही दिया साथ ही वेतन भी रोककर/कम करके प्रार्थी को आर्थिक दण्ड देकर मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इससे पूर्व भी श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक-वाई.ई.ए/ओ.एस.डी/183/2017 दिनांक 01.03.2017 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुरोध किया गया था कि श्री सिंह के प्रकरण पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व प्राकृतिक न्याय के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये। न तो प्रार्थी केा सुनवाई का अवसर दिया गया और सीधे प्रार्थी का वेतन कम करके दण्ड दे दिया गया, जो कि निंदनीय हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्र दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से आडिट टीम द्वारा लगायी गयी

रफशीट की आपत्ति के कारण एक तरफ तो वेतन ग्रेड पे रू0-10,000/- के स्थान पर ग्रेड पे रू0-6600/- कर दिया गया एवं दूसरे मार्गदर्शन हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया। जबकि आडिट टीम द्वारा कहीं भी वेतन कम करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित नहीं किया गया था आदि विवरण प्रस्तुत करते हुए कतिपय आरोप अंकित किये गए |

शासन/विभाग तथा शिकायतकर्ता/पीड़ित से प्राप्त साक्ष्य / तथ्य :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 7 में संदर्भित किया गया कि प्राधिकरण की 23वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-4 पर बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति के अनुपालन में तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी की आवश्यकता के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10.09.2008 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी, परियोजना का पद वेतनमान रू0-18500-450-23900 पर स्वीकृत किया गया।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 4 में प्रेषित है कि उक्त क्रम में शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा संदर्भित किया गया कि :-

   "2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 01 (एक) पद वेतनमान रूपये 18,500-450-23,900 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

   1. उक्त पद प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा |

   2. उक्त पद सृजन के फलस्वरूप आने वाला अतिरिक्त व्यय भार प्राधिकरण द्वारा अपने स्त्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी |

   3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-752/दस-08 दिनांक 10.09.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है |"
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार प्रश्नगत पद जिस पर उक्त दिनांक के दौरान श्री कुलवीर सिंह पदासीन थे संदर्भित है कि विशेष कार्याधिकारी के वेतनमान रु 18,500-450-23,900 को वेंतनमान रु 18,400-22,400 के सादृश्य वेतन बैंड-4 रु 37,400-67,000 में ग्रेड-पे रु 10,000 में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात किये जाने की तिथि से पुनरीक्षित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है | उक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2011 वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-1581 दिनांक 12-12-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया गया है |

उपरोक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्रांक संख्या 5658/77-4-21-03यीडा/21 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 द्वारा बिंदु संख्या 4 में आयोग को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया था की शासन द्वारा विशेष कार्याधिकारी के पद का वेतन शासनादेश दिनांक 23.12.2011 द्वारा रु0 18500-450-23900 को वेतनमान रु0 18400-22400 के सादृश्य वेतनबैंड-4 में रु0 37400-67000 ग्रेड-पे रु0 10,000 में पुनरीक्षित किया गया | उपरोक्त को सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आयोग के समक्ष मय-हस्ताक्षर सत्यापित करते हुए पुष्टि की गयी |

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 3 में प्रेषित है जिसमे आयोग को अवगत कराया गया कि श्री महराम सिंह द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 17.07.2013 प्रेषित किया गया |

उपरोक्त अनुरोध पत्र (मय-बायोडाटा संलग्नक) में श्री सिंह द्वारा अपने तत्कालीन वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड-पे 6600 का उल्लेख करते हुए, नियुक्ति लोक सेवक आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा श्रेणी-2 के अंतर्गत वेतनमान रु0- 8000-275-13500 में की गयी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रथम श्रेणी) के पद पर कार्यरत है अवगत कराया गया था | श्री सिंह द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 1990 में आई0आई0टी0 रूडकी (Formerly University of Roorkee) से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा अभियांत्रिकी (Electrical & Mechanical) में लगभग 23 वर्षो से भी अधिक समय का कार्य अनुभव प्राप्त है |

उपरोक्त अनुरोध पत्र में श्री सिंह द्वारा समकक्ष पद से अग्रणी पद अथार्त उप मुख्य प्रबंधक तकनीकी (E&M)/ विशेष कार्याधिकारी (OSD) परियोजना के पद पर कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया तथा श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया कि प्रतिनियुक्त की शर्ते श्री सिंह को मान्य होगी |

प्रश्नगत पद की प्रतिनियुक्ति की शर्तो के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 4 में प्रेषित है | उक्त क्रम में शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा संदर्भित किया गया कि *"2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 01 (एक) पद वेतनमान रूपये 18,500-450-23,900 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है | 1.उक्त पद प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा | 2.उक्त पद सृजन के फलस्वरूप आने वाला अतिरिक्त व्यय भार प्राधिकरण द्वारा अपने स्त्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी | 3.यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-752/दस-08 दिनांक 10.09.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है |"*|

उपरोक्त के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 18 में प्रेषित है जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्रांक संख्या वाई.ई.ए./कार्मिक/161/2014 दिनांक 21.05.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि *"शासन के पत्र संख्या -339(1)/77-4-14-100एल /13 दिनांक 04.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे | उक्त पत्र द्वारा श्री महराम सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नॉएडा को रु0-15600-39100 एवं ग्रेड पे 6600 पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी के पद पर तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है | उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी का पद शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है | बल्कि उत्तर प्रदेश के शासन के शासनादेश सं0- 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 औद्योगिक विकास अनुभाग -04 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी का एक पद वेतनमान 18500-450-23900 पर स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त है | अतः उपरोक्त पद पर श्री महराम सिंह को वेतनमान रु0-15600-39100 एवं ग्रेड पे 6600 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है |"*|

उपरोक्त के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 15 में प्रेषित है जिसमे उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को शासन के पत्र संख्या 699/77-4-14-100एल/13 दिनांक 29.05.2014 द्वारा उनके पत्र संख्या वाई.ई.ए./कार्मिक/161/2014 दिनांक 21.05.2014 को संदर्भित करते हुए, शासनादेश निर्गत किया | जिसमे तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उल्लेखित *"श्री महराम सिंह को वेतनमान रु0-15600-39100 एवं ग्रेड पे 6600 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने"* को शासन द्वारा दरकिनार करते हुए अवगत कराया कि *"उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा श्री महराम सिंह, प्रधानाचार्य-प्रथम श्रेणी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में रिक्त विशेष कार्याधिकारी (ओ.एस.डी.) के पद के सापेक्ष 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है | श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियमो व आदेशो के अनुसार ही वेतनमान व भत्ते अनुमान्य होंगे |"*|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वाई.ई.ए./कार्मिक/161/2014 दिनांक 21.05.2014 में श्री महराम सिंह को वेतनमान रु0-15600-39100 एवं ग्रेड पे 6600 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने सम्बन्धी अवगत कराने पर भी उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 699/77-4-14-100एल/13 दिनांक 29.05.2014 में उत्तर प्रदेश के शासन के शासनादेश सं0- 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 औद्योगिक विकास अनुभाग -04 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी का एक पद वेतनमान 18500-450-23900

पर स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त है का उल्लेख करते हुए, श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियमो व आदेशो के अनुसार ही वेतनमान व भत्ते अनुमान्य होंगे शासनादेश निर्गत किया |

श्री महराम सिंह के प्रतिनियुक्त वेतनमान की पुष्टि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 16 में प्रेषित कार्यालय आदेश से भी होती है | जिसमे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्रांक संख्या-वाई.ई.ए./कार्मिक/59/2016 दिनांक 03.02.2016 में कार्यालय आदेश निर्गत किया गया कि *"शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा स्वीकृत विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर नियमित अधिकारी के रूप में आमेलित किया जाता है।"*|

उपरोक्त के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 02 में प्रेषित है जिसमे अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2017 अजेंडा बिंदु संख्या 58/22 प्रस्तुत किया गया | जिसमे स्पष्ट उल्लेख है कि *"औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 669/77-4-14-100एल/13 दिनांक 29.05.2014 द्वारा श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10.09.2008 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा प्राधिकरण में दिनांक 14.06.2014 के पूर्वान्ह में विशेष कार्याधिकारी के पद पर आदेश संख्या वाई.ई.ए./कार्मिक/173/2014 दिनांक 18.06.2014 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया /"*| जिसे बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया |

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 01 में प्रेषित है जिसमें अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1131/77-3-15-66एन/08 दिनांक 01 फरवरी 2016 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को श्री महराम सिंह, विशेष कार्याधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर तैनात) यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्राधिकरण में आमेलन के समबन्ध में शासन से पत्र निर्गत किया गया | जिसमे उल्लेख किया गया कि मुख्य कार्यपालक के पत्र :-

"संख्या –वाई.ई.ए/कार्मिक/ 417/2015 दिनांक 11.02.2015 का सन्दर्भ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे, जिसमे विशेष कार्याधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात श्री महराम सिंह को शासन से स्वीकृत/सृजित विशेष कार्याधिकारी के पद पर प्राधिकरण में आमेलित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2. श्री महराम सिंह, प्रथम श्रेणी प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नॉएडा को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शासनादेश संख्या 1527/77-

4-8-66एन/08 दिनांक 10.09.2008 द्वारा वेतनमान रु0-18500-450-23900 में सृजित विशेष कार्याधिकारी (ओ0एस0डी0) के पद के सापेक्ष शासनादेश संख्या-699/77-4-14-100एल/13 दिनांक 29.05.2014 द्वारा 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था|

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की संस्तुति एवं उनके पैत्रक विभाग व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1258/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2015-2(45)/2013, दिनांक 09.06.2015 में आमेलन हेतु प्रदान की गयी अनापत्ति के द्रष्टिगत श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में वेतनमान रु0 18,500-450-23,900 में सृजित विशेष कार्याधिकारी के पद पर आमेलित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है|

4. उत्तर प्रदेश सार्वजानिक, उपक्रमों में सरकारी सेवको के आमेलन नियमावली 1984 के प्रस्तर-6 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार श्री महराम सिंह का आमेलन के दिनांक से अपने मूल विभाग में धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा|"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री महराम सिंह विशेष कार्याधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर तैनात) यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का आमेलन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की संस्तुति एवं उनके पैत्रक विभाग व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1258/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2015-2(45)/2013, दिनांक 09.06.2015 में आमेलन हेतु प्रदान की गयी अनापत्ति के द्रष्टिगत श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में वेतनमान रु0 18,500-450-23,900 में सृजित विशेष कार्याधिकारी के पद पर आमेलित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी | श्री महराम सिंह द्वारा अवगत कराया कि बोर्ड बैठक द्वारा अवलोकित एजेंडा बिन्दु 58/22 की अनुपालन आख्या, 59वी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिसपर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री महराम सिंह के प्रकरण में **कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है**|

श्री महराम सिंह के आमेलन वेतनमान की पुष्टि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार संलग्न 16 में प्रेषित कार्यालय आदेश से भी होती है | जिसमे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्रांक संख्या-वाई.ई.ए./कार्मिक/59/2016 दिनांक 03.02.2016 में कार्यालय आदेश निर्गत किया गया कि *"शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा स्वीकृत विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर नियमित अधिकारी के रूप में आमेलित किया जाता है|"*|

6. आयोग द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से श्री महराम सिंह द्वारा प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन के दौरान वेतनमान सम्बन्धी किसी तथ्य को छुपाये जाने बाबत प्रश्न

करने पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के अनुसार बिंदु संख्या 3 में श्री महराम सिंह द्वारा प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन के दौरान किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया जाना अवगत कराया गया |

7. श्री महराम सिंह द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति के दौरान निर्धारित वेतनमान रु0-18500-450-23900 नहीं दिया गया, जिसके लिए उनके द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतनमान दिए जाने हेतु विभिन्न शिकायती पत्र व प्रत्यावेदन दिए गए | परन्तु इस सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी |

8. श्री मेहराम सिंह ने आमेलन के दौरान किस वेतनमान पर आवेदन किया था, के बारे में आयोग द्वारा जानकारी करने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 6 में अवगत कराया कि श्री महराम सिंह द्वारा प्राधिकरण हेतु स्वीकृत विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान 18500-450-23900 का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2015 प्रस्तुत किया था | उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री महराम सिंह द्वारा स्वीकृत विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान 18500-450-23900 पर ही आवेदन किया गया था |

9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 1(A) में संदर्भित है कि *"औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश के आदेश / पत्र संख्या-1131/77-3-15-66एम/08 दिनांक 01.02.2016 द्वारा श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेसवें औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर वेतनमान 18500-450-23900 में आमेलित किया गया था | उक्त के अनुपालन में श्री महराम सिंह ने दिनांक 03.02.2016 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया था | प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या-वाई.ई.ए./कार्मिक/770/2016 दिनांक 17.03.2016 द्वारा श्री महराम सिंह को वेतनमान रू0 37000-67000 ग्रेड पे रु0 10,000/- के अंतर्गत वेतन भुगतान किया जा रहा था |"*|

उसी क्रम में बिन्दु संख्या 1(B) में संदर्भित है कि *"दिनांक 03.02.2016 से माह जुलाई 2017 तक श्री महराम सिंह को 37400-67000 ग्रेड पे रु 10,000/- भुगतान किया गया था |"*

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 2 में अवगत कराया गया है कि :-

> *"शासन के उक्त आदेश दिनांक 01.02.2016 के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 17/03/2016 द्वारा श्री महराम सिंह के विशेष कार्याधिकारी के पद पर आमेलन होने के उपरान्त ग्रेड पे 10,000/- के अंतर्गत वेतन निर्धारण का आदेश दिया गया था |*
>
> *A:- शासन के उक्त आदेश दिनांक 01.02.2016 के क्रम में श्री महराम सिंह द्वारा विशेष कार्याधिकारी के पद पर वेतनमान 18500-450-23900 में दिनांक*

03.02.2016 को आमेलित होने के उपरान्त प्राधिकरण कि बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2017 में संचालक मण्डल के अवलोकनार्थ एजेंडा बिन्दु संख्या -58/22 प्रस्तुत किया गया था | संचालक मण्डल द्वारा उक्त एजेंडा/ प्रस्ताव अवलोकित किया गया |

B:- वेतनमान 18500-450-23900 ग्रेड पे 10,000/- रु0 में वेतन निर्धारण कार्यालय आदेश दिनांक 17.03.2016 की प्रति शासन को भी प्रष्ठांकित की गई थी |

C:- वेतन निर्धारण के उक्त पत्रांक संख्या-वाई0ई0ए0/कार्मिक/770/2016 दिनांक 17.03.2016 के क्रम में शासन का कोई पत्र संज्ञान में नहीं है |"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री महराम सिंह के विशेष कार्याधिकारी के पद पर आमेलन के शासन आदेश दिनांक 01.02.2016 के अनुपालन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय आदेश दिनांक 17.03.2016 द्वारा ग्रेड पे 10,000/- के अंतर्गत वेतन निर्धारित किया गया | जिसकी प्रतिलिपि शासन को भी प्रेषित की गयी | शासन द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा परिवर्तन के आदेश, वेतन कटौती की दिनांक तक नहीं की गयी थी | विशेष कार्याधिकारी के पद पर वेतनमान 18500-450-23900 में दिनांक 03.02.2016 को आमेलित होने के उपरान्त प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2017 में संचालक मण्डल के एजेंडा बिन्दु संख्या -58/22 के अवलोकन उपरान्त बोर्ड द्वारा भी वेतनमान यथावत रखा |

10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 7(D) में संदर्भित है कि *"स्थानीय निधि लेखा के द्वारा प्राधिकरण कि सम्परीक्षा अवधि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 तक में ऑडिट आपत्ति संख्या 34 (संलग्नक-09 के अनुसार) इंगित कि गयी थी कि* ***"श्री महराम सिंह को पैतृक संवर्ग में वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 6600/- वेतन बैण्ड-3 के विरुद्ध वेतन बैण्ड-4 में ग्रेड वेतन 7600, 8700 एवं 8900/- का अतिक्रमण करते हुए सीधे ग्रेड पे 10,000/- निर्धारण किया गया है तथा आमेलन की तिथि को वेतन दिनांक 03.02.2016 में रु0 37400/- मूल वेतन एवं ग्रेड पे 10,000/- पे स्वीकृत किया गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता"*** *उक्त ऑडिट आपत्ति के द्रष्टिगत प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन दिनांक 10.07.2017 (छायाप्रति संलग्नक-10) उपरान्त पत्र संख्या-वाई0ई0ए0/कार्मिक/1314/2017 दिनांक 18.07.2017 (छायाप्रति संलग्न -11) द्वारा प्रकरण वेतन विसंगति दूर करने हेतु शासन को संदर्भित किया गया | श्री महराम सिंह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था | उनके द्वारा लिखित में प्रत्युत्तर दिनांक 27.04.2017 प्रस्तुत किया गया था |* उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री महराम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा आपत्ति से सम्बंधित तो पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु वेतन कटौती करने से पूर्व कभी भी पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया जोकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के बिल्कुल विपरीत है |

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के संलग्नक 11 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक

विकास प्राधिकरण के पत्रांक संख्या वाई.ई.ए./कार्मिक/1314/2017 दिनांक 18.07.2017 में प्रेषित है कि *"वरिष्ठ लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग के अपने पत्र संख्या यिडा/164/2016-17 दिनांक 05.07.2017 (छायाप्रति संलग्नक) द्वारा प्रकरण को शासन को संदर्भित करने हेतु लेख किया है तथा मुख्य कोषाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने अपने अभिमत / आख्या दिनांक 07.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है।" उसी क्रम में प्रतिलिपि के अंतर्गत महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि "महाप्रबंधक (वित्त) को इस आशय से प्रेषित है कि वह शासन स्तर से आमेलन के उपरान्त वेतन निर्धारण होने तक प्रतिनियुक्ति पर अंतिम देय वेतन अनुसार वेतन अहारित करते रहे।"*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ऑडिट आपत्ति में वेतन कटौती की संस्तुति नहीं की गयी थी, अपितु केवल स्वीकृत वेतनमान उचित प्रतीत नहीं होना बताया गया। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि वेतनमान ग्रेड पे रु0 10,000/- निर्धारित था तथा श्री महराम सिंह को प्राधिकरण द्वारा आमेलन की तिथि से आपत्ति जारी किये जाने तक दिया भी जा रहा था।

ऑडिट आपत्ति के क्रम में श्री महराम सिंह द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि उपरोक्त आपत्ति निस्तारित की जा चुकी है। जिसकी पुष्टि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 31 से भी होती है, जिसमें उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-ने0प्रे0/667 दिनांक 14.12.2018 में उल्लेखित है कि "उक्त सम्परीक्षा आख्या की रफशीट संख्या-34 सम्परीक्षा के समय निस्तारित की गयी है। रफशीट पर निस्तारित होने के कारण उक्त आपत्ति मुख्य सम्परीक्षा आख्या में सम्मिलित नहीं है।"

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 27 में प्रेषित है कि श्री महराम सिंह के पूर्व मूल विभाग में पेंशन के प्राविधान थे जबकि औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेवा में पेंशन का प्राविधान नहीं है तथा मूल विभाग की भांति सरकारी विभाग न होकर, स्वीवित्तपोषित संस्था है। इस स्थिति में प्रश्नगत पद के वेतन की तुलना मूल विभाग के वेतन से करना औचित्यहीन है।

11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या 12 तथा विशेष कथन में अंकित किया गया है कि *"प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 के मद संख्या-72/28 में श्री महराम सिंह को महाप्रबंधक (वि0/यां0) के पद पर केन्द्रीयित सेवा नियमावली में वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700/- में सम्मिलित करने तथा वेतन निर्धारित कर एरियर सहित भुगतान करने हेतु बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि :- "संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत निर्देशित किया गया कि श्री महराम सिंह, विशेष कार्याधिकारी को तत्काल प्रभाव से वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700/- के अनुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही की*

जाये / इनको दिए जाने वाले एरियर आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर इनके प्रकरण पर निर्णय होने / शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद किया जाए।" उक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री महराम सिंह को वेतनमान 3740-67000 ग्रेड पे 8700/- में दिनांक 03.01.2022 से कार्यालय आदेश संख्या:वाई0ई0ए0/कार्मिक /4593/2022 दिनांक 07.02.2022 के अनुसार दिनांक 03.01.2022 से माह जनवरी-2022 से वेतन भुगतान कर दिया गया है।

उक्त क्रम में आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान मुख्य कर्यपलाकाधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक सख्या वाई.ई.ए./कार्मिक/4599/2022 दिनांक 16.02.2022 को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि *"श्री महराम सिंह द्वारा धारित विशेष कार्याधिकारी के पद को केन्द्रीयित सेवा नियमावली में महाप्रबंधक (वि0/याँ0) के पद वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700/- में सम्मिलित करने की कृपा करे, ताकि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में श्री सिंह को दिए जाने वाले एरियर आदि के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा सके।"*

12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ सूचना दिनांक 14.02.2022 के संलग्नक 13C के पत्रांक संख्या वाई.ई.ए./808/2020/सी.ई.ओ. दिनांक 19.11.2020 में उल्लेखित क्रम संख्या 1 प्राधिकरण का अभिमत में अंकित किया गया है कि *"पद सृजन के आदेश दिनांक 10.09.2008 में ही उल्लेखित किया गया है कि उक्त पद पर आने वाले व्यय का वहन प्राधिकरण द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से किया जायेगा / पूर्व में इस पद पर श्री कुलवीर सिंह का आमेलन किया गया था / उनके त्याग पत्र देने के उपरांत ही रिक्त पद पर श्री महराम सिंह का आमेलन किया गया है।"*

उसी क्रम में क्रम संख्या 2 प्राधिकरण का अभिमत में अंकित किया गया है कि *"प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा नियमावली प्रख्यापित हो जाने के कारण विशेष कार्याधिकारी के पद को केन्द्रीयित सेवा नियमावली में सम्मिलित किया जाना है / यह भी अवगत कराना है कि नॉएडा प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद को औद्योगिक विकास द्वारा प्रकाशित गजट संख्या-2608/77-4-18-81एल-13 दिनांक 08.10.2018 द्वारा केन्द्रीयित सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) में शामिल कर लिया गया है।"*

उसी क्रम में क्रम संख्या 3 प्राधिकरण का अभिमत में अंकित किया गया है कि *"श्री सिंह की प्रतिनियुक्ति विशेष कार्याधिकारी के पद पर की गयी थी एवं इनका आमेलन भी विशेष कार्याधिकारी के पद पर ही किया गया है / यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विभाग में ऐसे अनेको प्रकरण है, जिनमे प्रतिनियुक्ति का पदनाम एवं आमेलित पदनाम में भिन्नता है एवं प्रतिनियुक्ति भी उच्च वेतनमान पर की जाती रही है / जबकि श्री महरम सिंह की प्रतिनियुक्ति एवं आमेलन का पदनाम समान है।"*

उसी क्रम में उक्त तथ्यों के आधार पर शासन के वित्त विभाग द्वारा दिए गए बहुमूल्य परामर्श के क्रम संख्या 4 के अंतर्गत प्राधिकरण का अभिमत में अंकित किया गया है कि *"श्री महराम सिंह का आमेलन, आमेलन नियमावली -1984 के प्राविधानो के अनुसार किया गया है / प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भी श्री सिंह का आमेलन किया जा चुका है / वर्तमान में श्री सिंह का यमुना विकास प्राधिकरण में स्थाईकरण भी किया जा चुका है एवं स्थाई करण के पश्चात इनका लियन औधोगिक विकास विभाग में create हो गया है।"*

उपरोक्त से पुनः स्पष्ट हो जाता है कि श्री महराम सिंह की प्रतिनियुक्ति एवं आमेलन प्राधिकरण में स्वीकृत पद के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आमेलन नियमावली 1984 के प्राविधानो के अनुसार वेतनमान का उल्लेख करते हुए ही किया गया है |

तथ्य एवं निष्कर्ष :-

प्रश्नगत प्रकरण में उभय पक्षों अर्थात शासन/विभाग और शिकायतकर्ती/पीड़ित को अलग अलग नियत तिथियों पर सुना गया तथा उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यो का गहनता से परिशीलन किया गया | तदनुसार उपरोक्त प्रकरण में सम्यक अभिलेखीय अवलोकन करने व गहनता से परिशीलन करने पर आयोग को निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष प्राप्त हुए :-

1. शासनादेश दिनांक 10.09.2008 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी का पद श्री राज्यपाल की स्वीकृति उपरांत वेतनमान रू0-18500-450-23900 को स्वीकृत किया गया।
2. श्री महराम सिंह की नियुक्ति से पूर्व शासन द्वारा प्रश्नगत पद को वेतनमान रु 18,500-450-23,900 को छठे वेतन आयोग के लागु होने के उपरांत वेंतनमान रु 18,400-22,400 के सादृश्य वेतन बैंड-4 रु 37,400-67,000 में ग्रेड-पे रु 10,000 में पुनरीक्षित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी |
3. श्री महराम सिंह द्वारा प्रश्नगत पद के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने हेतु आवेदन किया था अर्थात जिस प्रश्नगत पद को श्री राज्यपाल द्वारा वेतनमान रू0-18500-450-23900 में स्वीकृत तथा छठे वेतन आयोग के लागु होने के उपरांत वेंतनमान रु 18,400-22,400 के सादृश्य वेतन बैंड-4 रु 37,400-67,000 में ग्रेड-पे रु 10,000 में पुनरीक्षित किया गया था |
4. आवेदन पत्र में श्री सिंह द्वारा समकक्ष पद से अग्रणी पद अथार्त उप मुख्य प्रबंधक तकनीकी (E&M)/ विशेष कार्याधिकारी (OSD) परियोजना के पद पर कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया तथा श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया कि प्रतिनियुक्त की शर्ते श्री सिंह को मान्य होगी | जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि श्री सिंह को प्रतिनियुक्ति की शर्तो के अलावा अन्य शर्त मान्य नहीं होगी |
5. शासन के पत्र संख्या -339(1)/77-4-14-100एल /13 दिनांक 04.03.2014 के अंतर्गत श्री महराम सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नॉएडा को रु0-15600-39100 एवं ग्रेड पे 6600 पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी के पद पर तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात के सम्बन्ध में यमुना एक्स्प्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी का पद शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के शासन के शासनादेश सं0- 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 औद्योगिक विकास अनुभाग -04 के द्वारा विशेष कार्याधिकारी का एक पद वेतनमान 18500-450-23900 पर स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त है अवगत कराया | उसी क्रम में प्रश्नगत पद पर श्री महराम सिंह को वेतनमान रु0-15600-39100 एवं ग्रेड पे 6600 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति दी गयी, को दरकिनार करते हुए शासन द्वारा सम्यक

विचारोपरांत श्री महराम सिंह, प्रधानाचार्य-प्रथम श्रेणी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में रिक्त विशेष कार्याधिकारी (ओ.एस.डी.) के पद के सापेक्ष 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया तथा श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियमो व आदेशो के अनुसार ही वेतनमान व भत्ते अनुमान्य होंगे आदेशित किया। उल्लेखनीय है कि श्री महराम सिंह की अर्हरता / योग्यता व पूर्व में दिए जा रहे वेतनमान के सम्बन्ध में शासन को पूर्ण जानकारी थी तथा श्री महराम सिंह द्वारा आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना को छुपाया नहीं था।

6. औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 669/77-4-14-100एल/13 दिनांक 29.05.2014 द्वारा श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10.09.2008 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा प्राधिकरण में दिनांक 14.06.2014 के पूर्वान्ह में विशेष कार्याधिकारी के पद पर आदेश संख्या वाई.ई.ए./कार्मिक/173/2014 दिनांक 18.06.2014 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया।
7. श्री महराम सिंह को शासनादेश के क्रम में निर्धारित वेतनमान रु0-18500-450-23900 प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। श्री महराम सिंह को प्रतिनियुक्ति के दौरान निर्धारित वेतनमान रु0-18500-450-23900 नहीं दिया गया, जिसके लिए उनके द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतनमान दिए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिलकर व्यक्तिगत रूप से अनेको बार अनुरोध किया गया। परन्तु इस सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति श्री महराम सिंह का उत्पीडन किया जाता रहा। अतेव उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ती के द्वारा पूर्ण रूप से आयोग के समक्ष दिए गए आवेदन/शिकायती-पत्र पोषणीय है।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की संस्तुति एवं श्री सिंह के पैत्रक विभाग व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1258/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2015-2(45)/2013, दिनांक 09.06.2015 में आमेलन हेतु प्रदान की गयी अनापत्ति के द्रष्टिगत श्री महराम सिंह को यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में वेतनमान रु0 18,500-450-23,900 में सृजित विशेष कार्याधिकारी के पद पर आमेलित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या 1527/77-4-8-66एन/08 दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा स्वीकृत विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद वेतनमान रु0-18500-450-23900 पर नियमित अधिकारी के रूप में आमेलित किया गया। तत्पश्चात बोर्ड बैठक द्वारा अवलोकित एजेंडा बिन्दु 58/22 की अनुपालन आख्या, 59वी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिसपर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री महराम सिंह के प्रकरण में **कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है**।

9. श्री महराम सिंह के विशेष कार्याधिकारी के पद पर आमेलन के शासन आदेश दिनांक 01.02.2016 के अनुपालन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय आदेश दिनांक 17.03.2016 द्वारा ग्रेड पे 10,000/- के अंतर्गत वेतन निर्धारित करते हुए श्री महराम सिंह को वेतनमान रू0 37000-67000 ग्रेड पे रु0 10,000/- के अंतर्गत वेतन भुगतान किया गया | जिसकी प्रतिलिपि शासन को भी प्रेषित की गयी | शासन द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा परिवर्तन के आदेश, वेतन कटौती की दिनांक 18.07.2017 तक नहीं किये गए थे | विशेष कार्याधिकारी के पद पर वेतनमान 18500-450-23900 में दिनांक 03.02.2016 को आमेलित होने के उपरान्त प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2017 में संचालक मण्डल के एजेंडा बिन्दु संख्या -58/22 के अवलोकन उपरान्त बोर्ड द्वारा भी वेतनमान यथावत रखा |

10. वरिष्ठ लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग के पत्र संख्या यिडा/164/2016-17 दिनांक 05.07.2017 द्वारा प्रकरण को शासन को संदर्भित करने हेतु लेख किया तथा मुख्य कोषाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने अपने अभिमत / आख्या दिनांक 07.07.2017 द्वारा प्रकरण पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है| परन्तु उसी क्रम में प्रतिलिपि के अंतर्गत महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि "महाप्रबंधक (वित्त) को इस आशय से प्रेषित है कि वह शासन स्तर से आमेलन के उपरान्त वेतन निर्धारण होने तक प्रतिनियुक्ति पर अंतिम देय वेतन अनुसार वेतन अहारित करते रहे | उल्लेखनीय है कि वेतन कटौती करने से पूर्व कटौती के सम्बन्ध में कभी भी पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया जोकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के बिल्कुल विपरीत है | ऑडिट आपत्ति में वेतन कटौती की संस्तुति नहीं की गयी थी, अपितु केवल स्वीकृत वेतनमान उचित प्रतीत नहीं होना बताया गया | श्री महराम सिंह का वेतनमान ग्रेड पे रु0 10,000/- निर्धारित था तथा प्राधिकरण द्वारा आमेलन की तिथि से आपत्ति जारी किये जाने तक दिया भी जा रहा था | ऑडिट आपत्ति के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उक्त सम्परीक्षा आख्या की रफशीट संख्या-34 सम्परीक्षा के समय निस्तारित किया जाना तथा रफशीट पर निस्तारित होने के कारण उक्त आपत्ति मुख्य सम्परीक्षा आख्या में सम्मिलित नहीं किया जाना अवगत कराया | जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आपत्ति निस्तारित की जा चुकी है |

11. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 के मद संख्या-72/28 में संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत निर्देशित किया गया कि श्री महराम सिंह, विशेष कार्याधिकारी को तत्काल प्रभाव से वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700 /- के अनुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाए | तदनुसार अनुपालन के क्रम श्री महराम सिंह को वेतनमान 3740-67000 ग्रेड पे 8700/- में कार्यालय आदेश संख्या:वाई0ई0ए0/कार्मिक /4593/2022 दिनांक 07.02.2022 के अनुसार दिनांक 03.01.2022 से माह जनवरी-2022 से वेतन भुगतान कर दिया गया | मुख्य कर्यपलाकाधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक सख्य वाई.ई.ए./कार्मिक/4599/2022 दिनांक 16.02.2022 के अंतर्गत श्री महराम सिंह द्वारा धारित विशेष कार्याधिकारी के पद को केन्द्रीयित सेवा नियमावली में महाप्रबंधक (वि0/याँ0) के पद वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700/- में सम्मिलित करने,

ताकि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में श्री सिंह को दिए जाने वाले एरियर आदि के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा सके, अवगत कराया |

12. पद सृजन के आदेश दिनांक 10.09.2008 में ही उल्लेखित किया गया है कि उक्त पद पर आने वाले व्यय का वहन प्राधिकरण द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से किया जायेगा | पूर्व में इस पद पर श्री कुलवीर सिंह का आमेलन किया गया था | उनके त्याग पत्र देने के उपरांत ही रिक्त पद पर श्री महराम सिंह का आमेलन किया गया है| श्री सिंह की प्रतिनियुक्ति विशेष कार्याधिकारी के पद पर की गयी थी एवं इनका आमेलन भी विशेष कार्याधिकारी के पद पर ही किया गया है | यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विभाग में ऐसे अनेको प्रकरण है, जिनमे प्रतिनियुक्ति का पदनाम एवं आमेलित पदनाम में भिन्नता है एवं प्रतिनियुक्ति भी उच्च वेतनमान पर की जाती रही है | जबकि श्री महरम सिंह की प्रतिनियुक्ति एवं आमेलन का पदनाम समान है | श्री महराम सिंह का आमेलन, आमेलन नियमावली -1984 के प्राविधानो के अनुसार किया गया है | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भी श्री सिंह का आमेलन किया जा चुका है | वर्तमान में श्री सिंह का यमुना विकास प्राधिकरण में स्थाईकरण भी किया जा चुका है एवं स्थाई करण के पश्चात इनका लियन औधोगिक विकास विभाग में create हो गया है |"

13. Industrial Development Authority Act-1976 के प्रस्तर-41 (2) में स्पश्ट उल्लेख है कि –If in, or in connection with the exercise of its power and discharge of its functions by the under this Act any dispute arises between the and the State Government the decision of the State Government on such dispute shall be final. अर्थात राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, प्राधिकरण बोर्ड को वेतन कम करने/रोकने का अधिकार नहीं है। मा0 आयोग के संज्ञान में आया है कि न तो आडिट टीम द्वारा एवं न ही कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा श्री सिंह के वेतन को कम करने हेतु निर्देशित किया है अपितु तथाकथित आडिट आपत्ति भी निरस्त हो चुकी है अर्थात आडिट टीम द्वारा भी श्री सिंह के वेतन निर्धारण को उचित पाया गया है।

14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ही वेतनमान रू0-18500-450-23900 (ग्रेड पे रू0-10,000/-) पर दिनांक 22.03.2018 को स्थायीकरण किया गया अर्थात फाइनेंसियल हैण्ड बुक में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री सिंह का लियन स्थायी करने के उपरान्त वेतनमान ग्रेड पे रू0-10,000/- पर लियन (Lien) औद्योगिक विकास विभाग में सृजित हो गया है, एवं इनके पूर्व विभाग से लियन आमेलन की दिनांक 03.02.2016 से ही समाप्त हो चुका है।

यह भी संज्ञानित करना है कि –

A Public servant acquires a right over the post on confirmation:- When a public servant is confirmed in a post, he acquires a right over the post and if he is a civil servant he cannot be removed from that post except after compliance with the provisions of Art. 311 of the Constitution.
[Parshotam Lal Dhingra v. Union of India, 1958 SCR 828:AIR 1958 SC 36]

The confirmation order once made cannot be withdrawn or cancelled:-Once a Government servant is confirmed, the Government have no power to interfere with the order of confirmation. Calling upon a public servant to show cause why he should not be de-confirmed is ultra vires and without jurisdiction. The reason is that it would be dangerous to assume that the Government have the powers to cancel a confirmation order, for then there will be no certainty to the service of a Government servant, which will be contrary to all recognized principles a Government employment.
[B.M. Pal v. State of Assam, AIR 1968 Assam 18:
Om Prakash v. State of M.P., AIR 1965 M.P. 208]

उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि किसी कार्मिक का स्थायीकरण करना तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है परन्तु उसे परिवर्तित करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है।

श्री महराम सिंह एवं श्री कुलवीर सिंह के कार्यो की भिन्नता एवं प्रदत्त दायित्वों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा मा0 आयोग को उपलब्ध करायी गई सूचना से परिलक्षित होता है कि श्री महराम सिंह एवं श्री कुलवीर सिंह द्वारा सम्पादित कार्यो एवं दायित्वों में कोई अन्तर नहीं है। श्री कुलवीर सिंह को प्राधिकरण की तैनाती अवधि में ग्रेड पे रू0-10,000/- का भुगतान किया गया है। श्री महराम सिंह को भी ग्रेड पे रू0-10,000/- का भुगतान हो रहा था, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रोक दिया गया।

अवगत कराना है कि **EQUAL PAY FOR EQUAL WORK** के सिद्धान्त के अनुसार भी भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि -

"[W] here two classes of employees perform identical or similar duties and carry out the same function with the same measure of responsibility having same academic qualification, they would be entitled to equal pay. If the state denies them equality in pay, its action would be violative of Arts. 14 and 16 of the Constitution and the Court will strike down the discrimination and grant relief to the aggrieved employees."
[v. Markendeya v. State of A.P., AIR 1989 SC 1308, para 13: (1989) 3 SCC 191]

अतः उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार भी श्री महराम सिंह को वेतनमान रू0-37400-67000 ग्रेड पे रू0-10,000/- दिया जाना उचित है, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 17.03.2016 को निर्धारित भी किया गया था एवं श्री सिंह को प्राप्त भी हो रहा था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्र दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से आडिट टीम द्वारा लगायी गयी रफशीट की आपत्ति के कारण एक तरफ तो वेतन ग्रेड पे रू0-10,000/- के स्थान पर ग्रेड पे रू0-6600/- कर दिया गया एवं दूसरे मार्ग दर्शन हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया। जबकि आडिट टीम द्वारा कहीं भी वेतन कम करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित ही नहीं किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.03.2019 में भी उल्लेख किया गया है कि ग्रेड पे रू0-10,000/- का पद केन्द्रीयित सेवा नियमावली में स्वीकृत नहीं है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा श्री सिंह को समकक्ष वेतनमान पर सम्मिलित किये जाने हेतु संस्तुति ही नहीं की गयी, जिसके कारण श्री महराम सिंह का पद केन्द्रीयित सेवा नियमावली में शामिल नहीं हो सका है । जबकि श्री महराम सिंह के पद को छोड़कर सभी कार्मिकों को

समकक्ष वेतनमान पर ही केन्द्रीयित सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया है। अतः मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्र दिनांक 13.03.2019 एवं अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 25.10.2021 के अनुपालन में पुनः सुनिश्चित कर लिया जाये कि केन्द्रीयित सेवा नियमावली में ग्रेड पे रू0-10,000/- का पद सम्मिलित नहीं है। यदि वास्तव में केन्द्रीयित सेवा नियमावली में ग्रेड पे रू0-10,000/- का पद स्वीकृत नहीं है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री महराम सिंह को ग्रेड पे रू0-8700/- पर महाप्रबन्धक (सिविल/विद्युत एवं याँत्रिक) के पद पर केन्द्रीयित सेवा नियमावली में शामिल कर लिया जाये एवं दिनांक 17.03.2016 द्वारा निर्धारित वेतन के अनुसार ही पे-प्रोटेक्ट (Pay Protect) किया जाए | यदि केन्द्रीयित सेवा नियमावली में शासनादेश द्वारा निर्धारित ग्रेड पे जोकि आमेलन पर तैनाती की तिथि के समय प्रदान किया जा रहा था, वेतनमान को सुनिश्चित किया जाना विधिपूर्ण सम्भव हो तब ऐसी स्थिति में आमेलन पर तैनाती की तिथि के समय प्रदान किये जा रहे वेतनमान के अनुसार केन्द्रीयित सेवा नियमावली में समकक्ष वेतनमान पर सम्मिलित करते हुए वेतन को बहाल करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाये | उपरोक्तानुसार संस्तुति का अनुपालन आख्या 15 कार्यदिवसो में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

दिनांक :- मार्च 03, 2022

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, अनुभाग -4, उत्तर प्रदेश सरकार, रूम न. 108, C-ब्लाक, प्रथम तल, लोक भवन, लखनऊ - 226001
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ब्लाक-P2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश – 201308
3. श्रीमती सरोज सिंह पत्नी श्री महराम सिंह निवासी हाउस न. 2140, सेक्टर 16A, वसुंधरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012
4. PS to Hon'ble Vice Chairperson
5. Under Secretary
6. Research Officer
7. Legal Consultant
8. Programmer, NCBC (for uploading on website)